स्वच्छता और साफ–सफाई की अनदेखी से जिंदगी का प्रत्येक पहलु जैसे – स्वास्थ्य, पोषण, विकास, अर्थव्यवस्था, मर्यादा और सशक्तिकरण प्रभावित होता है। गरीबी और जागरूकता की कमी की वजह से यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है । भले ही, स्वच्छता की दिशा में प्रदेश में जागरूकता और पहुंच बढ़ी है, लेकिन फिलहाल यह बेहद कम है । आज भी बहुत से परिवार ऐसे है, जो घर पर शौचालय होते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं करते । स्वच्छता और साफ– सफाई की इस कड़ी में समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट द्वारा निर्मल भारत अभियान (NBA) के अन्तर्गत वॉटरएड एवं डी.एफ.आई.डी. के सहयोग से सीहोर जिले को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए ''निर्मल सीहोर अभियान'' का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत सीहोर जिले के चार विकासखण्ड क्रमशः सीहोर, आष्टा, इछावर एवं नसरूल्लागंज के सभी ग्राम पंचायतों को अगस्त 2015 तक पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शौचालय निर्माण के साथ–साथ व्यवहार परिवर्तन पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

इस अभियान में राजमिस्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस दिशा में यह पॉकेट बुक एक प्रयास है, ताकि संस्थागत एवं बाहरी कार्यकर्ताओं के सहयोग से समुदाय अपनी स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार और अपने स्वास्थ्य के अर्न्तसम्बन्धों का आंकलन करते हुए बदलाव के लिए मिलजुल कर कार्य आरंभ कर सके।

स म
र्थ न

समर्थन सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट

पंचमुखी हनुमान मंदिर, के पास, पॉवर हाउस चौराहा, सीहोर (म.प्र) –466001

दूरभाष:– 07562–224922 फैक्स:– 0755 2468663

ई मेल:– info@samarthan.org

व्यक्तिगत शौचालय
सोख्ता गढ्ढे की निर्माण विधि

लीच पिट शौचालय की निर्माण विधि

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुरक्षित व स्वच्छ शौचालय वह है, जिसके निर्माण में अधिक ढाल वाली रूरल पैन का उपयोग किया गया हो, पैन के साथ ''एस ट्रैप'' लगाया गया हो, चेम्बर बनाया गया हो व दो लीच पिट (सोख्ता गढ्ढा) का निर्माण कर उसे चेम्बर से जोड़ा गया हो तथा साथ ही इन लीच पिटों की जल स्त्रोतों से दूरी कम से कम 10 मीटर रखी गई हो ।

सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालय के मुख्य घटक

- लीच पिट (सोख्ता गढ्ढा)
- शौचालय का रूरल पैन, मुर्गा/जलबंध (S-trap) एवं पांवदान
- ऊपरी भाग (सुपर स्ट्रक्चर)

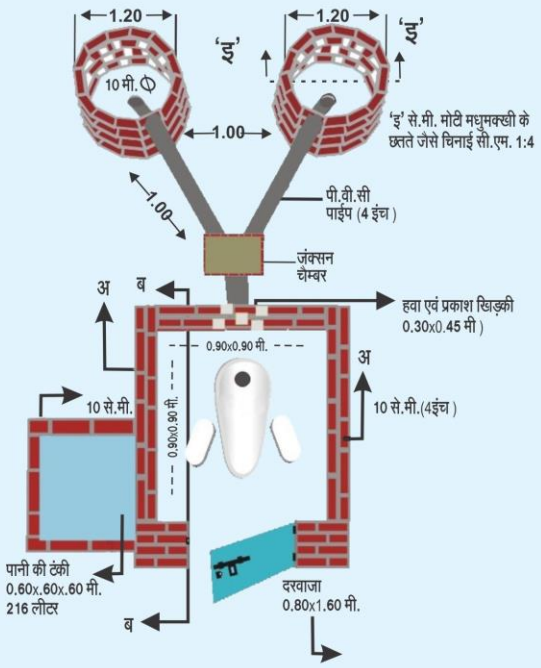

लीच पिट (सोख्ता गढ्ढा) शौचालय, सेप्टिक टैंक शौचालय से बेहतर है क्योंकि...

मानक	शौचालय का प्रकार	
	सेप्टिक टैंक	लीच पिट
उपयोग की आयु	10–20 वर्ष	असीमित समय तक
लागत	बहुत ज्यादा	कम
निर्माण में लगने वाला समय	7–10 दिन	1 दिन
मल का निस्तारण	असुरक्षित	सुरक्षित
मल का खाद में परिवर्तन	सम्भव नहीं	सम्भव
जगह की आवश्यकता	ज्यादा	बहुत कम
तकनीकी विकास	सम्भव नहीं	सम्भव

सोख्ता गढ्ढे वाले शौचालय की निर्माण विधि

- निर्मल भारत अभियान (मर्यादा अभियान) के अंतर्गत दो लीच पिट (सोख्ता गढ्ढा) वाले शौचालयों का ही निर्माण किया जाये। शौचालय के ऊपर के हिस्से को गढ्ढों के ऊपर न बनाया जाये। लीच पिट का गढ्ढा गोल आकार का होना चाहिए, जो गढ्ढे को अधिक स्थायित्व एवं मजबूती प्रदान करता है जिसके अंदर का व्यास चुनाई के बाद 1 मीटर तथा गहराई 1.20 मीटर होना चाहिये।

- शौचालय निर्माण हेतु निर्मित किये जाने वाले गढ्ढे की चुनाई करते समय चुनाई के नीचे आड़ी ईटों का आधार तैयार करें शेष बीच का फर्श खुला छोड़े। इसके पश्चात् नीचे के दो रद्दे एवं बीच में एक रद्दा छिद्र रहित पूर्ण चुनाई के हो। तथा प्रत्येक लाइन में दो ईटों के बाद 1 से 1.5 इंच का अन्तर होना चाहिये काली मिटटी वाले क्षेत्र में 1/2 इंच का अंतर होना चाहिए। ऊपर के अंतिम तीन रद्दे छिद्र रहित होना चाहिये। गढ्ढे की चुनाई के लिए पत्थर का भी उपयोग किया जा सकता है।

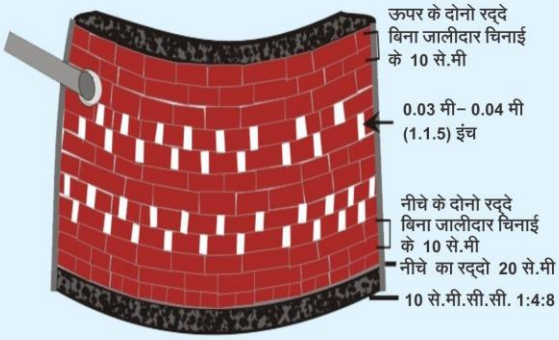

- चुनाई जमीन तल से कम से कम 20 सेमी. ऊँचा होना चाहिये जिससे बारिश का पानी तथा चेम्बर हेतु पर्याप्त ढाल मिल सके। ऊपर की चुनाई को चारों तरफ से मिट्टी से ढक देना चाहिए।
- शौचालय के गढ्ढे को ढाकने के लिये आर.सी.सी या फिर फर्शी का उपयोग किया जा सकता है ताकि गढ्ढे खुले हुए न हो व उनसे दुर्गन्ध बाहर न आ सकें। फर्शी वाले प्लेट को प्लास्टर से ढककर सील कर दे।
- शौचालय निर्माण में निर्मित होने वाले दो गढ्ढो के बीच की दूरी न्यूनतम 1 मीटर होना चाहिए तथा चेम्बर से गढ्ढे की दूरी भी न्यूनतम 1 मीटर होना चाहिये।
- एक गढ्ढा भर जाने के बाद दूसरा गढ्ढा आरम्भ कर दे तथा प्रथम गढ्ढे में एकत्रित मल 12 से 18 माह की अवधि में जैविक (आर्गेनिक) खाद बनकर उपयोग के लिये तैयार हो जाता है। इस खाद का उपयोग खेती, बागवानी अथवा विक्रय हेतु भी किया जा सकता है।
- शौचालय के गढ्ढे की दूरी पेयजल स्त्रोतो जैसे हैंडपंप, कुआँ, बावड़ी, इत्यादि से न्यूनतम 10–15 मीटर होना चाहिये। यदि पेयजल स्त्रोत, गढ्ढे (पिट) की तुलना में ऊँचाई पर (अपस्ट्रीम में) है, तो न्यूनतम दूरी 10 मीटर होना चाहिये एवं यदि पेयजल स्त्रोत की तुलना में गढ्ढा ऊँचाई पर (स्त्रोत डाउन स्ट्रीम में) है, तो दूरी न्यूनतम 15 मीटर होना चाहिये, जिससे पेयजल स्त्रोत प्रदूषित ना हो।
- जल भराव वाले स्थानों पर लीचपिट, सुपर स्ट्रक्चर अधिक ऊँचा रहे। लीच पिट में बाथरूम आदि का पानी नहीं जाना चाहिये।

शौचालय निर्माण के दौरान ध्यान रखने वाली बातें

- शौचालय का दरवाजा बाहर की ओर खुलना चाहिये ताकि अंदर के स्थान को कोई बाधा न पहुँचे।
- दोनों पांवदान में पीछे की दूरी से आगे की दूरी 2 इंच अधिक होना चाहिए। जिससे उपयोग में असुविधा न हो। पांवदान की न्यूनतम दूरी सुविधानुसार होनी चाहिये।
- दरवाजे में अंदर एवं बाहर दोनों तरफ से बंद करने की सुविधा होनी चाहिये।
- दरवाजे अच्छी गुणवत्ता वाले होना चाहिये।
- शौचालयो में पर्याप्त हवा (वेन्टीलेशन) तथा प्रकाश की व्यवस्था हेतु पीछे एवं बगल की दीवाल में चार–पॉच 4'' X 4'' साइज के छेद रखे जाये।

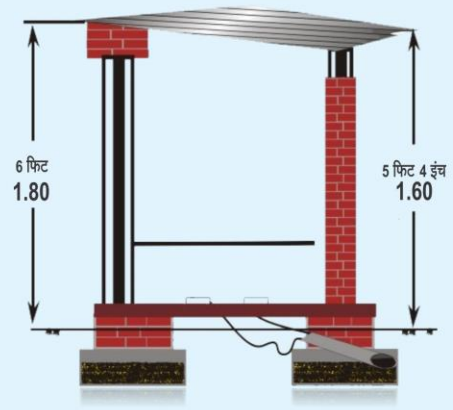

- छत में ए.सी. नालीदार/जी.आई. शीट लगाई जाये जिसका ढाल पीछे की तरफ रखा जाये।
- दीवालों में 15 मि.मी. मोटाई का सीमेंट प्लास्टर 1:5 में किया जाये।
- दरवाजे में नीले रंग से पेंट तथा दीवाल में सफेद रंग से पुताई करनी भी जरूरी है।

शौचालय का रखरखाव

- लीच पिट शौचालय में पानी का अधिक उपयोग न करें। अत्यधिक पानी के इस्तेमाल के कारण मल के खाद बनने की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा तथा गढ्ढा क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है।

- शौचालय सदैव स्वच्छ रखें जायें तथा शौचालय में पानी की व्यवस्था हो। नहाने के लिए शौचायल का इस्तेमान न करें। नहाने के लिए इस्तेमाल होने पर लीचपिट में ज्यादा पानी जायेगा और वह जल्दी भर जायेगा।

शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री

क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा	अन्य विवरण
1.	40 मि.मी. मिट्टी	0.307 घ.मी.	12 तगाड़ी
2.	20 मि.मी. गिट्टी	0.0507 घ.मी.	02 तगाड़ी
3.	सीमेंट	5.30 बेग	
4.	रेत	0.7940 घ.मी.	32 तगाड़ी
5.	ईट	932	
6.	दरवाजे का पल्ला	01 नग	0.77–1.60 मी. साईज
7.	6 मि.मी. मोटी ऐस्वेस्टस की नालीदार चादर	1.54 वर्ग मीटर	15 वर्ग फीट
8.	एंगल अथवा पाइप ए.सी. सीट लगाने हेतु	6.60 कि.ग्रा.	लम्बाई 445 मि.मी. गहराई 320 मि.मी. एवं ढाल 32 डिग्री
9.	फर्शी का पत्थर	0.11 घ.मी.	32 वर्ग फीट
10.	लेट्रीन सीट (रूरल पेन)	01	
11.	एस ट्रैप	01	
12.	ए.सी. पाइप 100 मि.मी. व्यास	03	
13.	पांवदान	02	250 मि.मी. लम्बा, 125 मि.मी. चौड़ा, 15 मि.मी. ऊँचा

व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के प्रावधान

- निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि रू.4600/– रखी गई है (केन्द्रांश रू.3200/– व राज्यांश रू.1400/–) व हितग्राही का अंशदान रू. 900/– है। शौचालय निर्माण हेतु मनरेगा से भी रू. 5400/– के अंशदान का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि हेतु लाभित वर्ग के पात्र हितग्राही निम्नानुसार है

  - अनुसूचित जाति के बी.पी.एल./ए.पी.एल.
  - अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल./ए.पी.एल.
  - सामान्य/ अन्य पिछडे वर्ग के बी.पी.एल
  - लघु व सीमान्त कृषक
  - ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार
  - शारीरिक रूप से निःशक्त
  - परिवार का मुखिया यदि महिला हो।

- अब मनरेगा के तहत भी रू.10,000/– तक का व्यक्तिगत शौचालय बनाया जा सकता है, किन्तु इसका लाभ लेने के लिए जॉबकार्ड धारी होना आवश्यक है। पात्र परिवार के पास जॉबकार्ड नहीं होने पर नियमानुसार उसका आवेदन प्राप्त कर, उसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जॉबकार्ड प्रदान कर लाभान्वित किया जा सकेगा।

नोट

नोट